रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 223] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 1966/आषाढ़ 27, 1888

No. 223] NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 1966/ASADHA 27, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July 1966

S.O. 2143.—In exercise of the powers conferred by Section 82B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890), the Central Government hereby appoint Shri P. K. Gupte, District and Sessions Judge, Thana, as whole time Claims Commissioner to deal with all claims for compensation arising out of the collision between T-11 Down Bombay-Thana local and T-10 Up Thana-Bombay Local between Matunga and Sion Stations of the Central Railway on the 13th June, 1966. His headquarters will be at Thana.

[No. E(O)II66AP1/10.]

P. C. MATHEW, Secy.

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई 1966

एस० ओ० 2144.—भारतीय रेल अधिनियम 1890 (1890 का अधिनियम IX) के अन्तर्गत 82-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री पी० के० मुखर्जी, जिला व सैशन न्यायाधीश थाना को पूर्णकालिक दावा कमिश्नर के रूप में नियुक्त करती है, जो 13 जून, 1966 को मध्य रेलवे के माटुंगा और शीव स्टेशनों के बीच टी--11 डाउन बम्बई--थाना स्थानीय और टी-10 अप थाना--बम्बई स्थानीय गाड़ियों के बीच हुई टक्कर के फलस्वरूप उठने वाले क्षतिपूर्ति के दावों का निबटारा करेंगे। उनका सदरमुकाम थाना में होगा।

(सं० ई० (ओ) II--66 ए० पी०/1/10)

पी० सी० मैथ्यू, सचिव

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1966